न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 101 सन् 2020

जितेन्द्र कुमार व अन्य ————————वादीगण

बनाम

भागमती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–18.08.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिनांक–04.08.2021 पर प्रतिवादी के तरफ से प्रतिउत्तर दिनांक 18.08.2021 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादीगण ने उपरोक्त मुकदमा इजमेन्ट्री के लिए दाखिल किया है। उपरोक्त मुकदमा में न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर नोटिस भेजा जा चका है और समाचार पत्र से भी प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु प्रकाशन कराया जा चुका है। जिससे प्रतिवादीगण को उपरोक्त मुकदमा का पूर्ण जानकारी हो चुकी है। मुकदमा दायर होने के बाद तकरारी जमीन पर प्रतिवादीगण जल्दी–जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। और नींव काटकर पिलर उठा रहा है और जोड़ाई का काम प्रारंभ कर दिया है। प्रतिवादीगण तकरारी जमीन के अगल–बगल ईट, बालू एवं गिटी इत्यादि इकट्ठा कर लिये हैं। न्यायहित में तकरारी भूमि का वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आना जरूरी ह। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त के नियुक्ति कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर इनसे रिपोर्ट मांग लिया जाए।

प्रतिवादी के तरफ से वादी के आवेदन दिनांक 04.08.2021 का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। जिसमें उनका

कथन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन में स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने का आवेदन निम्न कारणों से स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः यह वाद अतिकमण और इजमेन्ट्री राईट की पारितोष हेतु लाई गई है। जिसमें वादी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रतिवादी तकरारी एराजी पर निर्माण कर लिये हैं। जिसे उन्होंन अपने वादपत्र में नजरी नक्शा से दर्शाया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी उसका स्थानीय निरीक्षण कराना चाहते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी स्थानीय निरीक्षण के द्वारा साक्ष्य इकट्ठा कराना चाहते है, क्योंकि अगर निर्माण हो गया हो जैसा कि वादी के वादपत्र में दर्ज है तो उसे निरीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही निर्माण हुए स्थल किस प्लॉट में है तथा उसका अंश किस भाग में अवस्थित हैं उसका न तो स्थानीय निरीक्षण से स्पष्ट जानकारी हो सकती है न ही उसकी आवश्यकता है। वादी के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस वाद की तकरारी भूमि 120 फिट उत्तर से दक्षिण, 15 फुट पूरब से पश्चिम है जिसपर प्रतिवादी ने निर्माण कर दखल कर लिया है। वो फिर ऐसी स्थिति में उसके निरीक्षण की क्या आवश्यकता है। साथ ही अगर उक्त रकबा के अतिरिक्त किसी रकबा या निर्माण का वादी ने निरीक्षण कराना चाहते हैं तो वह स्वीकार योग्य इसलिए नहीं होगा कि वह उनके पिलिडिंग में नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी के स्थानीय निरीक्षण का सवाल दिनांक 04.08.2021 साथ खर्चा खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वाद अभी प्रारंभिक चरण में है। वाद बिन्दु का गठन अभी नहीं किया गया है। तकरारी एराजी की वास्तविक स्थिति अभिलेख पर लाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 04.08.2021 को न्यायहित में 2500/– रूपये अधिवक्ता शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिन्हा को अधिवक्ता

आयुक्त नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता आयुक्त यथाशिघ्र अपना प्रतिवेदन दाखिल करें। कार्यालय रिट जारी करें।

वाद दिनांक 25.08.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ
सोनपुर सारण।